## दिनांक–19.07.2018 को राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में HSRP क्रियान्वयन के सम्बंध में आहूत बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :–

1. राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार
2. विशेष कार्य पदाधिकारी,
3. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02
4. ऑटोमोबाईल एसो. ऑफ इर्स्टन इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि
5. उत्सव सेफ्टी सिस्टम प्रा0 लि0, के प्रतिनिधि श्री राजीव कुमार झा

(1) राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया तथा बैठक के मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा करते हुये आवश्यक निदेश दिये गये ।

(2) ऑटोमोबाईल एसो. ऑफ इर्स्टन इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों के द्वारा बैठक में बुलाये जाने हेतु आभार प्रकट करते हुये वर्त्तमान में लिंक प्वाईट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा न्यु बाईपास रोड, पटना के किनारे 10X 8 छोटे से कमरे में प्लेट लगाने का कार्य संचालित किये जाने एवं यह स्थान एक खुले नाले के सामने अवस्थित होने तथा यात्रियों हेतु वहां कोई शेड नहीं होने संबंधित शिकायत को दर्ज कराते हुये कहा गया कि मैकनिक द्वारा प्रति वाहन 20 रू0 अतिरिक्त ग्राहकों से लिया जाता है । वाहन स्वामी को बिना एच.एस.आर.पी. प्लेट Affix किये ही हाथ में दे दिया जाता है जिससे एच.एस.आर.पी लगाने का औचित्य नहीं बचा रहता है । इस संबंध में उपस्थित वेडर से पृच्छा की गई । वेडर द्वारा बताया गया कि नाला उगाही के दौरान कचरा निकाल कर बाहर रख दिया गया है जिसके कारण यह समस्या है एवं अतिरिक्त राशि लिये जाने के बिन्दु पर अपने स्तर से जांच किये जाने की बात कही गई । राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा एसोसियेशन के सदस्यों से भविष्य में ऐसी किसी भी त्रुटि की जानकारी उपलब्ध कराने तथा वेडर को अपने सभी डीम्ड ऑफिसों में प्रशिक्षित कर्मी तथा समान त्रुटियों को दूर करते हुये दिनांक 25.7.2018 तक प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है ।

(अनुपालनः– उत्सव सेफ्टी सिस्टम प्रा0 लि0)

(3) विभागीय आदेश के आलोक में वेंडर को यह निदेश दिया गया था कि वे डीलर प्वाईट पर HSRP प्लेट लगाने हेतु डीलरों का नाम प्रस्तावित करेंगे किन्तु बैठक में समीक्षा के दौरान वेंडर द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। वेंडर द्वारा बैठक में यह बताया गया कि उनके द्वारा सभी जिलों में डीलरों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है तथा शीध्र ही इसे विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा । राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में हर परिस्थिति में दिनांक 25.07.2018 तक सभी डीलरों की सूची तथा उसकी सहमति कागजातों के साथ विभाग को जमा किये जाने का निदेश दिया गया ताकि वैसे स्थलों को डीम्ड डी.टो.ओ. घोषित किया जा सके ।

(अनुपालनः– उत्सव सेफ्टी सिस्टम प्रा0 लि0)

(4) राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में HSRP प्लेट लगाए जाने हेतु 38 जिलों के लिये युजर आई.डी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सूची की मांग की गई थी जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया जाना खेदजनक है । दिनांक 25.07.2018 तक सूची उपलब्ध कराने हेतु वेडर को निदेश दिया गया ।

(अनुपालनः– उत्सव सेफ्टी सिस्टम प्रा0 लि0)

9

(5) राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रत्येक सोमवार को HSRP प्लेट लगाए जाने की प्रगति की समीक्षा किए जाने का निदेश भी दिया गया

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/-
राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/टैक्स (HSRP)/2/2018 परि0 5038

दिनांक–3/8/18

1. प्रतिलिपि– सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, परिवहन विभाग, बिहार, पटना, उत्सव सेफ्टी सिस्टम प्रा0 लि0 इन कन्सोर्टियम विथ लिंक प्वाईट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0, F 48 मायापुरी इंडस्ट्रि एरिया फेज–2 नई दिल्ली–110064/ अध्यक्ष, ऑटोमोबाईल एसो. ऑफ इर्स्टन इंडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।